

१२

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1485—पीबीआर/14 विरुद्ध प्रवाचक द्वारा नियत पेशी
दिनांक 19—३—२०१४ एवं तहसीलदार सोहागपुर जिला होशंगाबाद द्वारा दिये गये निर्देश
दिनांक 15—४—२०१४ प्रकरण क्रमांक 31/ए—६—ए/2013—१४.

लोकेश कुमार पुत्र मनोहरलाल
निवासी जयमल सिंह की कॉलौनी, सोहागपुर
जिला होशंगाबाद

.....आवेदक

विरुद्ध

- 1— थियो आत्मज विक्टर गोड़
निवासी ग्राम छेड़का
हाल मुकाम बजरंगपुरा इटारसी
तहसील इटारसी जिला होशंगाबाद
- 2— मध्यप्रदेश शासनअनावेदकगण

श्री के०के० द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदक
श्री अवधेश दुबे, अभिभाषक, अनावेदक क. 1
श्री अनिल कुमार श्रीवास्तव, अभिभाषक, अनावेदक क. 2

॥ आ दे श ॥

(आज दिनांक /३/३/१८ को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू—राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत प्रवाचक द्वारा नियत पेशी दिनांक 19—३—२०१४ एवं तहसीलदार द्वारा दिये गये निर्देश दिनांक 15—४—२०१४ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक क्रमांक 1 थियो द्वारा तहसीलदार, सोहागपुर के समक्ष संहिता की धारा 109 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया कि ग्राम छेड़का स्थित खसरा नम्बर 37/1 रकबा 0.73 एकड़ एवं खसरा नम्बर 38/4 रकबा 1.19 एकड़ कुल रकबा 1.92 एकड़ भूमि पर आवेदक द्वारा छलकपट पूर्वक अपना नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसमें अपर आयुक्त, नर्मदापुरम

०२

०५

संभाग द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/अपील/2005-06 में दिनांक 21-11-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी, सोहागपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 29-5-2005 एवं अपर कलेक्टर, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 14-3-2006 निरस्त किये जाकर अनावेदक क्रमांक 1 की अपील स्वीकार की गई है। अतः अपर आयुक्त के आदेश के परिपालन में प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 का नाम दर्ज किया जाये। तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 31/ए-6-ए/2013-14 दर्ज कर कार्यवाही प्रारूप की गई। पेशी दिनांक 19-3-14 को पीठासीन अधिकारी शासकीय कार्य में व्यस्त होने से प्रवाचक द्वारा इस आशय की आदेशिका लिखी जाकर आगामी पेशी नियत की गई कि आवेदक की ओर से राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी मेमों की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत की गई। पेशी दिनांक 19-5-14 को तहसीलदार द्वारा उनके न्यायालय का प्रकरण राजस्व मण्डल को भिजवाये जाने के निर्देश दिये गये। प्रवाचक द्वारा दी गई पेशी दिनांक 19-3-14 एवं तहसीलदार द्वारा इस न्यायालय को अभिलेख भिजवाये जाने हेतु दिये गये निर्देश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष इस न्यायालय में प्रस्तुत प्रकरण क्रमांक निगरानी 267—पीबीआर/2014 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत कर यह आपत्ति ली गई थी कि उभय पक्ष के मध्य राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में नवीन प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही नहीं की जा सकती, जिस पर बिना कोई विचार किये तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही नितांत अवैध एवं अनुचित होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि यदि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक क्रमांक 1 का नामान्तरण कर दिया जाता है तो आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी, क्योंकि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदक का नाम वर्ष 1999 से निरन्तर दर्ज चला आ रहा है और तहसीलदार द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने का कोई वैधानिक औचित्य नहीं है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा अनावेदक क्रमांक 1 को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से पास-पास की पेशी नियत की जा रही है, इसलिए तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही स्वेच्छाचारी एवं मानमाना होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि ~~आवेदक~~ ने प्रवाचक द्वारा नियत आगामी पेशी दिनांक एवं तहसीलदार द्वारा इस

02/06

21/6

न्यायालय को अभिलेख भिजवाने हेतु दिये गये निर्देश के विरुद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की है, जो कि निरस्त किये जाने योग्य है, क्योंकि तहसीलदार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा अनावेदक कमांक 1 आदिवासी की भूमि पर षडयंत्रपूर्वक अवैधानिक रूप से नाम दर्ज करा लिया गया था, जिसे अपर आयुक्त निरस्त कर अनावेदक कमांक 1 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है। अतः अपर आयुक्त के आदेश के परिप्रेक्ष्य में तहसील न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिसंगत है। अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक द्वारा इस न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त नहीं किया गया है, मात्र निगरानी मेमों की सत्यप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है, इसलिए तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है।

5/ अनावेदक कमांक 2 शासन के विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध किया गया।

6/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। वरिष्ठ न्यायालय से आदेश होने के बाद कियान्वयन हेतु नया प्रकरण दर्ज करने की प्रथा गलत है, इससे पक्षकारों को नया Cause of action मिलता है, जिसकी पुनः अपीलें/निगरानी आदि होती है। इस प्रकरण में भी यही स्थिति है। निगरानी प्रकरण कमांक 3006-पीबीआर/15, निगरानी प्रकरण कमांक 266-पीबीआर/14 एवं निगरानी प्रकरण कमांक 267-पीबीआर/14 में राजस्व मण्डल द्वारा आयुक्त/अपर आयुक्त के आदेशों की पुष्टि की गई है। उनका अभिलेखों में कियान्वयन तत्काल मूल प्रकरण से ही किया जाये। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। तहसीलदार उपरोक्त निर्देशों का पालन करें।

(मनाज गायल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर